



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007
Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 10-3-16,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)

समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)

समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को दृष्टिगत रखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निरीक्षणों हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

(ए) औद्योगिक इकाईयों/स्थापनाओं की श्रेणियाँ :-

1. अति खतरनाक कारखाने :- जो कारखाने, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 बी के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड नियम 1999 के तहत अति खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत हैं, उनमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष में सामान्यतः दो बार निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी व निरीक्षण हेतु इकाई का चयन मुख्यालय स्तर से रेण्डम पद्धति द्वारा किया जाएगा।

2. खतरनाक श्रेणी के कारखाने :- जो कारखाने, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 सी बी और 87 के तहत खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत हैं, उनमें औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष में सामान्यतः एक बार निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी व निरीक्षण हेतु इकाई का चयन मुख्यालय स्तर से रेण्डम पद्धति द्वारा किया जाएगा।

3. स्व-प्रमाणीकरण योजना अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाएं/कारखाने :- श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(ई) 2-2014/ए-16 दिनांक 07/10/2014 द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित स्व-प्रमाणीकरण योजना (वीसीएस) के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में श्रमायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा।

4. छोटी दुकान एवं स्थापनाएं :- म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम की धारा 41 (3) के (यथासंशोधित) प्रावधानानुसार 10 से कम श्रमिक नियोजित करने वाली सभी दुकानों एवं स्थापनाओं में किसी भी अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण केवल श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकेगा। श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त करने हेतु कारण दर्शित करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कार्यालय प्रमुख द्वारा श्रमायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

5. नवीन एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकाईयाँ :- लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों तथा स्टार्ट अप इकाईयों, जो 01.04.2013 के पश्चात नवीन पंजीबद्ध हुई हैं और जिनके द्वारा वार्षिक रिटर्न (विवरणियाँ) नियत समयावधि में प्रस्तुत की जा रही हैं, उनमें सामान्यतः निरीक्षण नहीं किया जाएगा। अपवादजनक रूप से गंभीर शिकायत/सूचना प्राप्त होने पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त करके निरीक्षण किया जा सकेगा।

6. अन्य समस्त औद्योगिक इकाईयाँ एवं स्थापनाएँ- उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 की श्रेणियों को छोड़कर शेष सभी कारखानों व स्थापनाओं के लिये जोखिम आधारित प्रणाली के अनुसार रेण्डम चयन पद्धति से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण उच्च जोखिम श्रेणी से न्यून जोखिम श्रेणी के क्रम में कम्प्यूटराईज्ड

रिस्क आधारित निरीक्षण निर्धारण प्रणाली से चयन कर किया जाएगा और इस निरीक्षण की सामान्यतः पूर्व सूचना संबंधित नियोजक/स्थापना को दी जाएगी।

इस श्रेणी अंतर्गत कारखानों व स्थापनाओं का निम्नलिखित बिन्दुओं पर कोष्ठक में भारित अंकों के आधार पर जोखिम निर्धारण किया जाएगा-

जोखिम संबंधी वर्गीकरण - (कुल 100 अंक)

- (1) गत तीन वर्ष में प्राणांतक दुर्घटना हुयी हो (10)
 - (2) बाल श्रमिक, बंधक श्रमिक नियोजित पाए गए हो (10)
 - (3) जहाँ गत दो वर्षों में हडताल/तालाबंदी आदि हुयी हो (9)
 - (4) गत एक वर्ष में अन्य दुर्घटना हुयी हो (8)
 - (5) जिनके द्वारा गत निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो (8)
 - (6) जो किसी श्रम अधिनियम में पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित हुए हो (8)
 - (7) पूर्व में न्यूनतम वेतन के उल्लंघन पाये गये हो (7)
 - (8) जो पंजीयन या अनुज्ञप्ति या नवीनीकरण संबंधी उल्लंघनकर्ता हो (7)
 - (9) जहाँ रात्रि पाली में महिला श्रमिक कार्यरत हो (6)
 - (10) जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया हो (6)
 - (11) कारखाना अधिनियम संबंधी उल्लंघन हुए हो (5)
 - (12) किसी अन्य श्रम कानून संबंधी उल्लंघन हुए हो (4)
 - (13) जहाँ 10 या अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हो (4)
 - (14) जहाँ 100 या अधिक ठेका श्रमिक कार्यरत हो (4)
 - (15) जहाँ 5 या अधिक ठेकेदार हो (4)
- (i) **उच्च जोखिम श्रेणी** में वह कारखाने या स्थापनाएँ मान्य किये जायेंगे जिनमें उक्त जोखिम संबंधी वर्गीकरण की श्रेणियों को भारित किये जाने पर कुल 35 से अधिक भार प्राप्त होगा।
- (ii) **मध्य जोखिम श्रेणी** में वह कारखाने या स्थापनाएँ मान्य किये जायेंगे जिनमें उक्त जोखिम संबंधी वर्गीकरण की श्रेणियों को भारित किये जाने पर कुल 20 से 35 तक भार प्राप्त होगा।
- (iii) **न्यून जोखिम श्रेणी** में वह कारखाने या स्थापनाएँ मान्य किये जायेंगे जिनमें उक्त जोखिम संबंधी वर्गीकरण की श्रेणियों को भारित किये जाने पर कुल 20 से कम भार प्राप्त होगा।

(बी) सभी इकाईयों हेतु स्वप्रमाणित रिटर्न सुविधा :-

श्रम कानूनों में प्रावधानित नियमित रिटर्न्स प्रस्तुति के संबंध में निर्धारित एकीकृत रिटर्न्स को स्वप्रमाणन के आधार पर प्रस्तुत करने की सुविधा सभी श्रेणियों के समस्त कारखानों एवं स्थापनाओं को उपलब्ध होगी जिनमें मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग तथा स्टार्टअप इकाईयाँ भी सम्मिलित है।

(सी) विशेष निरीक्षण -

- (i) **जिला स्तरीय अधिकारी के स्तर पर निरीक्षण** - कारखाने/स्थापना में अग्नि दुर्घटना, गैस लीक या श्रमिकों/आमजन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पडने योग्य दुर्घटना घटित हुई हो अथवा

जिला प्रशासन द्वारा किसी कारखाने या स्थापना विशेष या कारखाने/स्थापनाओं के वर्ग विशेष के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया हो।

(ii) श्रम आयुक्त स्तर से स्वीकृति उपरांत निरीक्षण -

विशेष परिस्थिति, आकस्मिक मामलों, गंभीर शिकायतों, साप्ताहिक अवकाश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किए जाने व श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन आदि आधारों पर श्रम आयुक्त स्तर से प्रकरण विशेष में अनुमति प्राप्त करने के उपरांत निरीक्षण किया जा सकेगा।

(डी) निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर :-

निरीक्षण उपरान्त निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर आगामी दो कार्य दिवसों में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निरीक्षण रिपोर्ट यदि संबंधित नियोजक को तत्समय ही उपलब्ध नहीं कराई गई है तो निरीक्षण दिनांक के आगामी दो कार्यदिवस के भीतर ई-मेल/स्पीड पोस्ट से अनिवार्यतः प्रेषित की जावे और साथ ही पोर्टल पर निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर सकने हेतु लॉग इन आय.डी. एवं पासवर्ड संबंधित नियोजक को उपलब्ध कराए जावें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।



(के.सी.गुप्ता)

श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 08-10-3-16

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7996-8004,
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. स्टाफ आफिसर, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली, 110001 की ओर मुख्य सचिव, म.प्र. को संबोधित पत्र क्र. Z-13025/39/2015-LR Cell दि. 12.01.2016 एवं Z-20025/1/2016-LR Cell दि. 19.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित
4. स्टाफ आफिसर, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 की ओर पत्र क्रमांक 5(26)/2014-BE-1 दिनांक 20.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा, समस्त अपर श्रम आयुक्त, की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निज सहायक, मान. श्रम मंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।


श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश